पृ.अ./2025/ 2418 तहसीलदार(भू-अ)धौलपुर/...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी –डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 11/25

उनवान:–

1. पतोला पुत्र मोहनलाल जाति कोली आयु करीब 55 वर्ष निवासी पटपरा हाल आबाद भामतीपुरा तहसील व जिला धौलपुर राज0।
2. नरेश पुत्र मोहनलाल जाति कोली निवासी पटपरा हाल आबाद भामतीपुरा तहसील व जिला धौलपुर राज0।
3. नाबालिग जयप्रसाद पुत्र मोहनलाल जाति कोली सरपरस्त माँ पतोला पत्नि मोहनलाल जाति कोली निवासी पटपरा हाल आबाद भामतीपुरा तहसील व जिला धौलपुर।

-----------------प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार मनियां वहैसियत लैण्ड होल्डर -------- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी
अधीन धारा 129 भू–राजस्व
अधिनियम

उपस्थिति:–

1. श्री योगेश शर्मा, एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से

दिनांक:–30.06.2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 68 रकवा 0.5690 है0 ग्राम भमरौली पटवार हल्का भैसेना तहसील व जिला धौलपुर के अभिलिखित खातेदार काश्तकार है व मौके पर काबिज है। प्रार्थीगण ने दिनांक 20.06.2022 को उक्त आराजी की विधिवत रूप से अन्य लोगों की मौजूदगी में पैमाईश जरिये तहसीलदार धौलपुर करवायी थी। तथा मुस्तकिल निशानात कायम कराए थे, जो आज भी मौजूद है। फसल में आवारा पशुओं से सुरक्षा हेतु पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 68 रकवा 0.5690 है0 ग्राम भमरौली

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

पटवार हल्का भैसेना तहसील व जिला धौलपुर की पत्थरगढी मुताबिक पैमाईश प्रार्थी के खर्चे पर करवाई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार धौलपुर के पत्र दिनांक 24.06.2025 से रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त हुई कि खसरा नम्बर 68 रकवा 0.5690 है0 ग्राम भमरौली पटवार हल्का भैसेना तहसील व जिला धौलपुर पर प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। आराजी मौके पर खाली बताई है तथा पूर्व में पैमाईश किया जाकर मुस्ताकिल निशानात कायम कारवाना बताया है। तथा पुलिस जाप्ता की मौजूदगी में पत्थरगढी कराया जाना संभव बताया है।

रिपोर्ट तहसीलदार धौलपुर पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पुलिस जाप्ता की मौजूदगी में पत्थरगढी के आदेश दिए जाने हेतु कथन किया।

वकील प्रार्थीगण को सुनने उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जिसका सीमाज्ञान कराना तहसीलदार धौलपुर द्वारा उनकी रिपोर्ट दिनांक 24.06.2025 में स्वीकार किया है। प्रार्थीगण सीमाज्ञान के अनुसार उनके खर्चे पर पत्थरगढी कराना चाहते है। जिसका उनको पूर्ण अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर तहसीलदार धौलपुर को आराजी खसरा नम्बर 68 रकवा 0.5690 है0 ग्राम भमरौली पटवार हल्का भैसेना तहसील व जिला धौलपुर की प्रार्थीगण के खर्चे पर सीमाज्ञान अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी कराये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार धौलपुर द्वारा पुलिस जाप्ता की मांग संबधित थानाधिकारी से की जावे। उप पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी हो कि वह तहसीलदार धौलपुर की मांग पर पत्थरगढी कराये जाने हेतु पर्याप्त पुलिस जाप्ता उपलब्ध कराने हेतु संबधित थानाधिकारी को पाबन्द करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,धौलपुर